

गायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)  
अन्तिम डिक्री

वादि संख्या 76/2015	घारा अन्तर्गत 88,89,188,53 आरटीएक्ट निर्णय दिनांक : 11.02.2023
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां	
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:-श्री रघुवीर सिंह एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:-श्री सत्येन्द्र शर्मा एड0

वाद शीर्षक

उनवान

1. ललिता देवी पत्नी सोहन पाल जाति ब्राह्मण
2. महेन्द्र पाल आत्मज सोहन पाल जाति ब्राह्मण निवासी बटावदा तहसील बारां जिला बारां हाल मकान नं0 18718  
केशवपुरा टीचर्स कोलोनी, कोटा जिला कोटा राज0

-वादीगण

बनाम

1. प्रभुलाल आत्मज धन्ना लाल
2. राम कृष्ण आत्मज धन्ना लाल
3. परमेश्वर आत्मज द्वारका लाल
4. चन्द्र मोहन आत्मज द्वारका लाल
5. मन्जु बाई पुत्री द्वारका लाल
6. राधा बाई बेवा द्वारका लाल  
जाति ब्राह्मण निवासीगण बटावदा तहसील बारां जिला बारां
7. शिवकरण आत्मज देवी शंकर
8. ओमप्रकाश आत्मज देवी शंकर
9. मन्जू पुत्री देवी शंकर
10. ललित आत्मज रमेश
11. सुनील आत्मज रमेश
12. अनिल आत्मज रमेश
13. सुनीता उर्फ सीमा पुत्री रमेश
14. द्वारका बाई बेवा रमेश
15. कोशलया बेवा सरेश
16. दीपक पुत्र सुरेश नाबालिग
17. रेखा पुत्री सुरेश नाबालिग
18. ज्योति पुत्री सुरेश नाबालिग  
जरिये वलीया माता कोशलया बेवा सुरेश
19. राजेन्द्र पाल आत्मज सोहन पाल
20. सुदर्शनआत्मज सोहन पाल
21. अनुसूइया पुत्री सोहन पाल
22. प्रतिमापुत्री सोहन पाल
23. गायत्री बेवा यादेन्द्र पाल
24. योगेन्द्र पाल आ0 यादेन्द्र पाल
25. रविन्द्र पाल आत्मज यादेन्द्र पाल  
जाति ब्राह्मण निवासी बटावदा तहसील बारां जिला बारां
26. राजस्थान सरकार जयं तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

-प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:-

प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुसार विवादित वाके ग्राम बटावदा तहसील बारां का पक्षकारान के मसुदा विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-



उपखण्ड अधिकारी  
बारां

नाम खातोदार	ख० न०	रकबा	लगात
ललिता देवी पत्नी सोहनपाल, महेन्द्र पाल, राजेन्द्र पाल, सुदर्शन पाल पुत्र सोहनपाल अनुसुईया, प्रतिमा पुत्रियां सोहनपाल हि० 6/7, गायत्री पत्नी स्व० यादेन्द्रपाल, योगेन्द्र पाल पुत्रान रविन्द्रपाल पुत्र यादेन्द्रपाल जाति ब्राह्मण सा० देह हि० 1/7 बारां बटावदा	265	0.11 है०	
	266	0.03 है०	
	270	0.08 है०	
	277/1148	0.02 है०	
	289	0.02 है०	
	611	0.06 है०	
	मि० 619	0.01 है०	
	मि० 1098	1.32 है०	
	1099	0.09 है०	
	किता-9	1.74 है०	
प्रभु लाल, रामकृष्ण पुत्रान धन्ना लाल हि० 2/6 परमेश्वर, चन्द्रमोहन पुत्रान द्वारका लाल, मन्जूबाई पुत्री द्वारकालाल, राधाबाई पत्नी द्वारका लाल हि० 1/6 शिवकरण, ओम प्रकाश पुत्रान देवीशंकर, मन्जू पुत्री देवी शंकर हि० 3/10, ललित, सुनिल, अनिल, पुत्रान रमेश, सुनिता उर्फ सीमा पुत्री रमेश, द्वारकाबाई पत्नी रमेश हि० 1/10, दीपक नाबालिग पुत्र सुरेश, रेखा, ज्योति पुत्रियां सुरेश, कोशल्यबाई पत्नी सुरेश हि० 1/10 जाति ब्राह्मण सा० देह	279	0.16 है०	
	610	0.10 है०	
	613	0.09 है०	
	616	0.16 है०	
	1097	1.16 है०	
	मि० 1098	0.03 है०	
	मि० 1099	1.31 है०	
	मि० 619	0.02 है०	
	किता -8	3.48 है०	

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर वाद तामील तकमील के दाखिल दफतर हो।

साथ ही नियमानुसार ..... रु० का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।  
उक्त आदेश-मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 11.02.2023 को निर्गत किया गया।



जयपुर जिला न्यायालय  
बारां न्यायाधीश

क्र. सं.	व्यय धरा	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिग्राहक पत्र (स्टाम्प/लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प/लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प/लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिग्राहक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/दाखिलपत्र		
9.	ब्याज ( )		
10.	योग		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)  
 प्राथमिक - डिफ्री


दि सं. 76/15	धारा अंतर्गत 53, 88, 89, 188	निर्णय दिनांक 27-12-17
समक्ष - बडीलाल शर्मा PAC उपखण्ड अधीकारी वाप		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री बीछे गोतमराय शर्मा		अभिभाषक प्रतिवादी श्री महेन्द्र शर्मा

**वाद शीर्षक**

1. लालिदा देवी पति सोहन पाल जाति ब्राह्मण नि. वयनरा तहसीला जिला बारा  
 2. महेन्द्र पाल मासुम सोहन पाल हाल दीपत कालोनी बारा  
 वनाम  
 1. पुमलाल 2. शम कृष्ण पुवराण धनलाल 3. परमेश्वर 4. चन्द्रमोहन 5. मन्धरा  
 6. राधा बाई पि. हारकलाल जाति ब्राह्मण नि. वयनरा तहसीला  
 7. शिवमरण 8. ओम प्रकाश 9. मन्धरा पुव देवी शर्मा 10. ललित 11. सुनील 12. अनिल  
 13. युनिल उपर सीमा 14. हाऊवा 15. सुधाम 16. दीपक नाथ 17. शक नाथ 18. सोहन  
 19. राजेन्द्र पाल 20. सुदर्शन 21. अनुमति 22. उतिका पि. सोहन पाल 23. जायसी देवी  
 यादव पाल 24. योगेन्द्र पाल 25. राजेन्द्र पाल पि. यादव पाल जिला बारा नि. वयनरा  
 26. राधा कृष्ण सोहन पाल  
 निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिफ्री निर्गत की जाती है कि

वाद वादी श्रीमत् सिधु गान्धर्व विक्रम शर्मा द्वारा बयन बरा वाप  
 रकम 265 रकम 0.11 है, 266 रकम 0.03 है, 270 रकम 0.08 है 277/1148  
 रकम 0.02 है, 279 रकम 0.16 है, 285 रकम 0.02 है, 610 रकम 0.10 है, 611  
 रकम 0.06 है, 613 रकम 0.09 है 616 रकम 0.16 है 619 रकम 0.05 है  
 1097 रकम 1.61 है, 1098 रकम 1.35 है, 1099 रकम 1.40 है कुल 14 क्रि 5-22  
 है जो वादी लालिदा देवी से वाद में जारी 2 महेन्द्र पाल का सोहन पाल  
 क जौरी वसी 19 का 25 को सुपुत्र खारिज कर दिया गया है तथा जारी  
 प्रि 19 - 25 का 1/3 हिस्सा के बकाय का बकाय उपर खारिज कर दिया  
 का 5 बकाय बराग निरनिग से कोरेप हिस्सा वाद हो के 2/3 हिस्सा  
 1 का 18 में भी बकाय का उपर खारिज कर दिया है भी कोरेप हिस्सा  
 तदनु रूप वाप जारी गण हड प्रि 10 का बकाय उपर खारिज कर दिया  
 के बकाय पर सिफ गान्धर्व।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।  
 उक्त आदेश में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 27-12-17 को निर्गत किया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिशनर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज ( %)		
	योग		